# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2021
   प्र0सू0रि0 संख्या ........258/22........ दिनांक........11/9/2022........
2. (1) अधिनियम..भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम....धाराऐं 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम........भारतीय दण्ड संहिता........धाराऐं........120बी भा0दं0सं0........
   (3) अधिनियम........................धाराऐं........................
   (4) अन्य अधिनियम एवं ........................धाराऐं ........................
3. (क) घटना का दिन :– बुधवार दिनांक :– 09.09.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–08.09.2022 समय :–11.30 ए.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ........196........ समय........3:00 P.M.........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 60 कि0मी0 दक्षिण पूर्व दिशा।
   बीट संख्या........................जुरामदेही संख्या........................
   (ख) पता:– ईदगाह चौराहा कस्बा छबडा जिला बारां राज0।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम........................
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री मोरपाल मीणा
   (ख) पिता/पति का नाम :– मदनलाल मीणा
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 40 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ङ) पासपोर्ट संख्या................जारी करने की तिथि................जारी करने का स्थान................
   (च) व्यवसाय – राशन की दुकान
   (छ) पता :– ग्राम नानूखेड़ी तहसील छबड़ा थाना बापचा जिला बारां राजस्थान।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां
   2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ बारां(प्राईवेट व्यक्ति)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः – 5000 रूपये ........................
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो )........................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2022 को परिवादी श्री मोरपाल पुत्र मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी पंचायत पचपड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां ने एसीबी चौकी बारां पर उपस्थित होकर एक टाईपशुद्धा प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि मै छबड़ा तहसील के पंचायत पचपहाड़ के ग्राम नानूखेड़ी में रहता हूं। गांव नानूखेडी में ही मेरी राशन डीलर की दुकान है। मैं एक दिन मेरी पत्नि को बारां दिखाने आया था तो उस दिन मोतीराम इन्सपेक्टर मेरी राशन की दुकान पर पहूंच गया तथा फोन करके मुझे बुलाया कि तुम्हारी दुकान में गड़बडी है। तथा दुकान में पब्लिक को समय पर राशन सामग्री नही मिलती है। तो इस पर मैने कहा साहब अभी तो में बारां आया हुआ हूं पत्नि के इलाज के लिये, ऐसी कोई बात नही है। मैं बाद में आकर आपसे मिलता हूं। इस पर मैं श्री मोतीराम जाट से डीएसओ ऑफिस में जाकर मिला तो उन्होने मुझसे 20,000/– की रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने पर 15,000/– लेना तय हुआ जिसमें से 10,000/– रूपये तो प्राप्त कर लिये तथा 5000/– रूपये बाद में देना तय हुआ। बाकि के 5000/– रूपये के लिये श्री मोतीराम जाट इन्सपेक्टर द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं इन्हे ये रिश्वत नही देना चाहता तथा रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी

अनिल

इन्सपेक्टर साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश या दुश्मनी नही है तथा मेरा इन्सपेक्टर साहब से पुराना कोई लेनदेन बाकी नही है। पूर्व में दस हजार रूपये भी झूठी कार्यवाही करने धमकी देकर प्राप्त किये है। कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजमून दरयाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि होना पाया जाने से सत्यापन करवाना आवश्यक होने से श्री दिनेश महावर कानि0 360 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने चेम्बर में बुलाकर परिवादी श्री मोरपाल से परिचय कराया तथा होने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। इसके पश्चात् कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को सुपुर्द कर बन्द व चालू करने की विधि समझाई गई वार्ता रिकार्ड करने का तरीका भलीभांती समझाया गया। फर्द सुपुदर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर प्रथक से मुर्तिव की गई। समय 12.40 पीएम पर परिवादी श्री मोरपाल मीणा को आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने एवं होने वाली वार्ता को संभवत नजदीक से रिकार्ड करने व गोपनीयता की हिदायत देकर डीएसओं कार्यालय रवाना किया व वार्ता की निगरानी व सत्यापन हेतु दिनेश कानि0 को आवश्यक समझाईश व हिदायत कर परिवादी के साथ रवाना किया गया। समय 2.30 पीएम पर श्री दिनेश महावर कानि0 360 व परिवादी श्री मोरपाल चौकी हाजा पर बाद सत्यापन वापस आये। परिवादी ने डीवीआर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मैं दिनेश कानिस्टेबल के साथ रवाना होकर डीएसओ ऑफिस बारां के पास पंहुचां। और मुझे डीएसओ ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। ऑफिस के आसपास ही श्री दिनेश कानि0 360 मेरे आने के इन्तजार में खडे रहे। मैं डीवीआर चालू करके डीएसओ ऑफिस में श्री मोतीराम इन्सपेक्टर के पास गया। जिनसे मेरे खिलाफ कार्यवाही नही करने तथा मेरी राशन की दुकान सुचारू रूप से चालू रहने देने के सम्बन्ध में बातचीत हुई तो उन्होने मेरे से बाकि के 5000/- रूपये की रिश्वत शाम को 5 बजे तक लाने के लिये कहा है। उक्त समस्त वार्ता आपके कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड हो गई। परिवादी के कथनों की पुष्टि श्री दिनेश कानि से की गई। एवं रिकार्ड वार्ता सुनने से भी परिवादी के कथनों पुष्टि होती है। रिकार्ड वार्ता को गहनता से सुनने पर परिवादी के कार्य व रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता होना नही पाया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा परिवादी श्री मोरपाल को पैसे लेकर सायं 5 पीएम पर वापस बुलाया है। अतः परिवादी को उसके कार्य के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि बाबत् स्पष्ट वार्ता करवाने के लिये अप्रार्थी द्वारा बुलाये जाने के समय 5 पीएम पर पुनः भेजा जावेगा। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी के पास ही सुरक्षित मुनासिब हिदायत कर रहने दिया। समय 04.40 पीएम पर परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द व चालू करने की विधि समझाई जाकर अप्रार्थी से अपने कार्य के समन्ध में स्पष्ट रिश्वत मांग वार्ता करने हेतु रिकार्डर को बन्द व चालू करने की विधि पुनः समझाकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका भलीभांती समझाया गया तथा मुनासिब हिदायत कर पुनः सत्यापन हेतु डीएसओ ऑफिस रवाना किया। वार्ता की निगरानी हेतु श्री दिनेश कानि0 360 को आवश्यक समझाईश व हिदायत कर परिवादी के साथ रवाना किया गया। समय 6.35 पीएम पर परिवादी श्री मोरपाल मीणा व श्री दिनेश कानि0 360 डिजीटल वाईस रिकार्डर के चौकी हाजा पर बाद सत्यापन वापस आये। परिवादी ने डीवीआर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मैं दिनेश कानिस्टेबल के साथ रवाना होकर डीएसओ ऑफिस बारां के पास पंहुचां। और मुझे डीएसओ ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। ऑफिस के आसपास ही श्री दिनेश कानि0 360 मेरे आने के इन्तजार में खडे रहे। मैं डीवीआर चालू करके डीएसओ ऑफिस में श्री मोतीराम इन्सपेक्टर के पास गया। जिनसे मेरे खिलाफ कार्यवाही नही करने तथा मेरी राशन की दुकान सुचारू रूप से चालू रहने देने के सम्बन्ध में बातचीत हुई तो मैने उनसे कहा कि ओ पांच हजार रूपया मंगवाया छा ना जो मारा सुसुर जी नी आया मु शनिवार को आ जाउंगो तो उन्होने कहा कि यहा मत आना मैं एक आदमी के नम्बर दे देता हूं। तु उसे ही दे देना तुझे यहां नही आना पड़ेगा तब मैने कहा कि वो आदमी छबडा में इस पर आरोपी ने कहा कि हां इधर उधर फालतू बात मत करना उसको घर जाकर दे देना तो मैने कहा कि हां घर जाकर दे दूंगा। फिर उन्होने 9829105086 मोबाईल नम्बर दिये। और



अनिष

नाम सत्यनारायण बताया है। उक्त समस्त वार्ता आपके कार्यालय के रिकार्डर में रिकार्ड हो गई। परिवादी के कथनों की पुष्टि श्री दिनेश कानि से एवं रिकार्ड वार्ता से की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रथक से मुर्तिव की जावेगी। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर प्रथक से मुर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी की आरोपी से वार्ता अनुसार रिश्वत राशि कस्बा छबड़ा में सत्यनारायण नाम के व्यक्ति को दी जानी है। अतः परिवादी को रिश्वत राशि पांच हजार रूपये लेकर कल सुबह 9 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर सकुशल रूकसत किया गया। दिनांक 09.09.2022 को समय 8.50 एएम पर परिवादी श्री मोरपाल मीणा उपस्थित कार्यालय आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 5000/-रूपये लेकर आया हूं। इस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के नाम एक तहरीर जारी कर श्री ईस्माइल है0कानि0 07 को देकर दो स्वतंत्र गवाह अपने साथ शीघ्र लाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां रवाना किया गया। समय 10.00 ए0एम0 रवानशुदा श्री ईस्माइल है0कानि0 07 मय स्वतंत्र गवाहान 1. श्री अभिमन्यु शर्मा पुत्र श्री विपीन शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 22 साल निवासी आदर्श नगर कोटा रोड़ बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां मोबाईल नम्बर 8209425620 2. श्री विकास साहू पुत्र श्री रमेश कुमार जाति साहू उम्र 26 साल निवासी गाडिया कॉलोनी झालावाड़ रोड़ बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां मोबाईल नम्बर 9772518219 के उपस्थित कार्यालय आया। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री मोरपाल मीणा से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त दोनो गवाहान को पढवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहों ने मौखिक सहमति प्रदान की तथा दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 10.15 ए0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोरपाल पुत्र मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी पंचायत पचपड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां ने निर्देशानुसार अपने पास से निकालकर आरोपी श्री मोतीराम जाट निरीक्षक कार्यालय डीएसओ बारां को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस, अनिष अहमद को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी नोट में अंकित किये गये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों पर श्री यशयन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री मोरपाल मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास साहू से लिवाई गई। परिवादी श्री मोरपाल मीणा के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पांच हजार रूपये को परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की दांहिनी जेब में श्री यशयन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक से रखवाया गया। इसके बाद काँच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशयन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोट पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री यशयन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व



अनिष

पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री मोरपाल मीणा को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री मोरपाल मीणा को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर रिश्वत प्राप्ति का ईशारा करे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री मोरपाल मीणा को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा आरोपी से रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री मोरपाल मीणा को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत लेन-देन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री यशयन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब करवायी जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस व कार्यवाही में जाने वाले जाप्ते व स्वतंत्र गहावान की आपस में तलाशी लिवाई जाकर परिचय व मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात् समय 11.50 ए0एम0 पर परिवादी श्री मोरपाल मीणा व श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 को परिवादी की मोटरसाईकिल से कस्बा छबड़ा से कुछ दूरी पूर्व रूकने की हिदायत कर रवाना किया गया। पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री विकास साहू व श्री अभिमन्यु शर्मा मय जाप्ता श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 व श्री मनोज कुमार कानि0 211 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित एक प्राईवेट वाहन कार से छबडा के लिये रवाना होकर समय 01.35 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय टीम के प्राईवेट वाहन कार से छबड़ा से लगभग आधा किमी पूर्व एक फार्म हाउस के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री मोरपाल मीणा व श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 उपस्थित मिले। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी मोतीराम जाट द्वारा सत्यापन के दौरान बताये व्यक्ति श्री सत्यनारायण की लोकेशन जानने हेतु फोन करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मैने अभी आपके आने से कुछ समय पूर्व ही श्री सत्यनारायण शर्मा से मोतीराम जाट द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर पर बात की है श्री सत्यनारायण ने मुझे ईदगाह चौराहा छबड़ा पर बुलाया है। समय 01.45 पी0एम0 पर परिवादी श्री मोरपाल मीणा को पूर्व में दिये गये डिजीटल वाईस रिकार्ड को चालू करवाकर दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा के पास रिश्वत राशि देने हेतु ईदगाह चौराहा रवाना कर रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने व रिश्वत राशि आरोपी के दलाल को देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकॉल करने की पुनः समझाईश की गई। मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी टीम के साथ लाये वाहन से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर ईदगाह चौराहे छीपाबडौद रोड़ पर पहुंचा। वाहन को साईड में खड़ा कर चौराहे के आस-पास अपनी व टीम की उपस्थित छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में ट्रेप जाल बिछाया गया। दिनांक 09.09.2022 समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री मोरपाल पुत्र मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी पंचायत पचपड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां ने एसीबी टीम व मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद व एसीबी टीम की ओर अपने सिर पर हाथ फेर कर पूर्व निर्धारित ईशारा कर आरोपी दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान विकास साहू एवं श्री अभिमन्यु शर्मा मय जाप्ता परिवादी के पास ईदगाह चौराहा कुंभराज रोड़ दायीं ओर बाबूलाल साहू की दुकानों के सामने (छबड़ा) पहुंचा। जहां परिवादी श्री मोरपाल मीणा से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास रखा। परिवादी ने अपने पास में खड़े एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग का कुर्ता व नीली जिन्स पहन रखी है की तरफ ईशारा करके बताया कि यही श्री सत्यनारायण जी है



अनिष

जिनको रिश्वत राशि देने के लिये श्री मोतीराम जाट निरीक्षक ने कहा था। जिन्होने मुझसे अभी–अभी 5000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपनी पहनी हुई नीले रंग की जिन्स की पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखे है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये व्यक्ति सत्यनारायण को अपना व टीम का परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ा होना बताया। इस पर आरोपी सत्यनारायण को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जाप्ते व गवाहो की मदद से यथास्थिति में गाड़ी में बैठाया। आज अनन्तचतुर्दशी का पर्व होने से चौराहे पर काफी शोरगुल व भीड़ होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस चौराहे से कुछ दूरी पर एकान्त स्थान की ओर मय टीम मय आरोपी दलाल के रवाना हुआ तथा परिवादी व श्री इस्माईल है0कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल पीछे पीछे आने की हिदायत की गयी। समय 02.08 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम मय वाहन मय दलाल आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा के चौराहे से कुछ दूरी पर गोपनीय स्थान पर पहुंच कर समय 02.09 पीएम पर आरोपी श्री मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक से उसके मोबाईल नम्बर 9799999741 पर दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर की उसके मोबाईल नम्बर 9829105086 से स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई जिस पर सत्यनारायण ने आरोपी मोतीराम जाट निरीक्षक से पूछा कि मोरपाल को आपने भेजा है क्या इस पर आरोपी मोतीराम जाट ने कहा कि हां मैने ही भेजा है, यह कहकर फोन काट दिया। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। आरोपी मोतीराम जाट व दलाल की मोबाईल वार्ता के पश्चात् श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को आरोपी श्री मोतीराम जाट को डिटेन करने हेतु निवेदन किया। ईदगाह चौराहे के आसपास कार्यवाही के लिये उचित स्थान नही होने व चौराहा पर काफी भीड होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम मय दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा के परिवादी को व ईस्माइल है0कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से पीछे पीछे आने की कहकर रवाना होकर मय आरोपी दलाल मय परिवादी मय जाप्ता मय वाहन के पास ही रोड़ पर स्थित सरकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), छबड़ा जिला बारां पहुंचकर कार्यालय के प्रभारी श्री चौथमल मीणा कृषि अधिकारी से अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति चाही तो उन्होने मौखिक सहमति प्रदान कर कार्यालय में एक कमरा उपलब्ध करवाया जहां कार्यवाही से सम्बन्धित सामग्री रखकर ट्रेप में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। समय 02.20 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दलाल आरोपी श्री सत्यनारायण को तसल्ली से बैठाकर परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो दलाल आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि मैने मोरपाल मीणा से कोई रिश्वत राशि नही ली है। इन्होने ही मुझे फोन करके चौराहे पर बुलाया है। और कहा है कि मोतीराम जी ने आपको 5000/– देने के लिये कहा है। इसलिये मोरपाल जी द्वारा दिये गये 5000/– रूपये मैने लेकर और गिनकर अपनी जीन्स की पेन्ट की सामने की दायी जेब में रखे है। मैने इनसे कोई रिश्वत नही ली। दलाल आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि होने पर हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर साफ कॉच के दो गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क आरएच–1, आरएच–2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात दूसरे कॉच के गिलास के घोल में आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क एलएच–1 एलएच–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर



आशीष

करवाये गये। तत्पश्चात् दलाल आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री अभिमन्यु शर्मा से लिवाई गयी तो आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दायी जेब में पांच–पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये व पेन्ट की बायी जेब में एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का बरंग नीला ड्युल सीम जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी नम्बर 9829105086 मिले। दोनो गवाहान से आरोपी की पेन्ट की जेब से बरामद रिश्वत राशि का मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से किया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। भारतीय मुद्रा के उक्त नोट के नम्बर निम्न प्रकार है–

| क.स. | नोट का विवरण | नोट का नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 0 BV 323658 |
| 2. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 0 BV 323657 |
| 3. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 0 BV 323656 |
| 4. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 0 BV 323655 |
| 5. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 3 CB 265544 |
| 6. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 2 VV 725629 |
| 7. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 1 BW 976397 |
| 8. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 4 AL 685493 |
| 9. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 9 PR 586486 |
| 10. | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर | 8 EA 268083 |

उक्त नोटों को एक पीले रंग के लिफाफे में गवाह श्री अभिमन्यु शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी के पुत्र कान्हा शर्मा से पहनने के लिये पजामा मंगवाकर पेन्ट को खुलवाकर पजामा पहनाया गया तथा साफ कॉच के एक गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा की पेन्ट की सामने की दायी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील्ड चस्पा कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित किया गया तथा सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पेन्ट को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क–पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी सत्यनारायण की पेन्ट की बायी जेब में एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का बरंग नीला ड्युल सिम जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी नम्बर 9829105086 मिला, जो कार्यवाही में वजह सबूत होने कब्जे ब्यूरों लिया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं धुलाई नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद हाथ धुलाई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी, रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिया जाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू एवं परिवादी श्री मोरपाल मिणा को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज व आरोपी दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाह व परिवादी की उपस्थिति में श्री मनोज कुमार कानि0 211 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हू ब हू नियमानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवाई जाकर, संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा की आरोपी मोतीराम जाट से समय 02.09 पीएम पर कराई गई मोबाईल वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी, रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिया जाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू एवं आरोपी श्री सत्यनारायण को सुनाया गया। आरोपी सत्यनारायण ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी



अभिष

मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाह व आरोपी की उपस्थिति में श्री मनोज कुमार कानि0 211 से कम्प्यूटर के स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हू ब हू नियमानुसार तैयार करवायी जाकर, संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 04.20 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी व स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी साथ लाये प्राईवेट वाहन से रिश्वत राशि ग्रहण करने के स्थान का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका तैयार करने हेतु जब्तशुद्धा आर्टिकल्स व मय जाप्ता के रवानशुदा ईदगाह चौराहे छबड़ा पहुंचा। जहां स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका तैयार किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 04.40 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि मैने आरोपी मोतीराम जाट को कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां से डिटेन कर लिया है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी व स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी साथ लाये प्राईवेट वाहन से जब्तशुद्धा आर्टिकल्स व मय जाप्ता के बाद निरीक्षण घटनास्थल ईदगाह चौराहे छबड़ा से रवाना होकर समय 6.30 पीएम पर एसीबी चौकी बारां आया। जप्तशुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। समय 06.40 पी0एम0 पर कार्यालय में डिटेन शुदा आरोपी श्री मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक डीएसओ कार्यालय बारां को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां होना बताया। आरोपी मोतीराम जाट से परिवादी मोरपाल मीणा व आरोपी दलाल सत्यनारायण की मौजूदगी में परिवादी मोरपाल से पूर्व में रिश्वत राशि 10000/- रूपये प्राप्त करने एवं दिनांक 08.09.2022 की सत्यापन वार्ता अनुसार दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी छबड़ा को शेष रिश्वत राशि पांच हजार रूपये आज दिलवाने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी मोतीराम जाट ने कहा कि मैने श्री मोरपाल मीणा राशन डीलर से पूर्व में कोई रिश्वत राशि नही ली एवं ना ही मैने मोरपाल से सत्यनारायण शर्मा को रिश्वत के पांच हजार रूपये देने के लिये कहा था। मैने छबडा क्षेत्र के कुछ राशन डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसलिये राशन डीलरों ने मुझे षड़यंत्र पूर्वक फंसाया है। इस पर पास ही खड़े परिवादी श्री मोरपाल मीणा ने आरोपी मोतीराम जाट के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि करीब एक माह पहले यह मोतीराम जी जाट मेरी राशन की दुकान ग्राम नानूखेडी गये थे। उस दिन मै मेरी पत्नि बीमार होने से उसके इलाज के लिये बारां आया था उस दिन मोतीराम जी ने मुझे फोन कर बताया कि तुम्हारी दुकान में गडबडी है तथा आपकी राशन की दुकान में पब्लिक को समय पर राशन सामग्री नही मिलती है। इस पर मैने कहा कि साहब अभी तो मैं अपनी पत्नि के इलाज के लिये बारां आया हूं। मैं बाद में आकर आपसे मिलता हूं। उसके बाद मैं डीएसओ कार्यालय बारां में आकर इनसे मिला था तो इन्होने मुझसे बीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की। मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने पर 15000/- रूपये लेने हेतु सहमत हुये तथा 10000/- रूपये इन्होने उसी दिन मुझसे ले लिये तथा शेष पांच हजार रूपये बाद में देने के लिये कहा कल दिनांक 08.09.2022 को मै सत्यापन के लिये इनके पास डीएसओ कार्यालय बारां गया। तब इन्होने मुझसे शेष रिश्वत राशि पांच हजार रूपये सत्यनारायण शर्मा निवासी छबड़ा को देने हेतु कहा और इन्होने मुझे सत्यनारायण जी के मोबाईल नम्बर 9829105086 भी दिये थे। इनके कहे अनुसार आज मैने छबड़ा में श्री सत्यनारायण जी से बात कर ईदगाह चौराहा छबडा में पांच हजार रूपये रिश्वत के दिये है। जो सत्यनारायण जी मुझसे लेकर अपनी पहनी हुई जींस की पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखे थे। इसके बाद कार्यवाही के दौरान आपने श्री सत्यनारायण जी पकड लिया था। इस पर आरोपी श्री मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक को रिकार्ड सत्यापन वार्ता व सत्यनारायण से हुई मोबाईल वार्ता को सुनाया जाकर तसल्ली पूर्वक पुनः पूछा तो आरोपी ने बताया कि यह सही है कि मैं करीब एक माह पहले मै राशन की दुकाने चेक करने छबडा की तरफ गया था मैने नानूखेडी पहुंच कर मोरपाल मीणा की राशन की दुकान चैक की थी क्योंकि इनकी राशन की दुकान के सम्बन्ध में



आशिष

शिकायते आ रही थीं। उस दिन मोरपाल जी मुझे वहां नही मिले थे तब मैने मोरपाल जी को फोन कर बारा ऑफिस में आने के लिये कहा था। उसके दो तीन दिन बाद मोरपाल बारां मेरे पास आया था। तब मैने इसकी राशन की दुकान के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में इससे कहा था। परन्तु मैने मोरपाल से कोई रिश्वत नही ली। मैने तो मोरपाल से अपने घर का नक्शा लाने व राशन की दुकान को नियमित रूप से खोलने व लोगों को समय पर राशन देने हेतु कहा था। इसके पश्चात् कल दिनांक 08.09.2022 को भी दो बार मोरपाल मेरे पास आया था। तब मैने मोरपाल से इसकी दुकान के नक्शे के बारे में पूछा था तो इसने बताया कि दुकान व घर का एक ही है। फिर मोरपाल ने पांच हजार रूपये के सम्बन्ध में कहा तो मैने मोरपाल को सत्यनारायण निवासी छबडा के मोबाईल नम्बर 9829105086 दिये थे और ऑफिस में आने के लिये मना किया था। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष जर्ये नोटिस श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री मोरपाल मीणा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान दिनांक 08.09.2022 व रिश्वत लेन देन के बाद दिनांक 09.09.2022 दलाल श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर से कराई गई मोबाईल वार्ता में आप द्वारा रिश्वत मांग कर रिश्वत राशि श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर दिलवाया जाना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड की गई तीनों वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी मोतीराम जाट ने फर्द नमूना आवाज नोटीस पर लिखकर दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। इसके बाद समय 07.25 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष जर्ये नोटिस सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ा को सूचित किया किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री मोरपाल मीणा से दिनांक 09.09.2022 को रिश्वत लेनदेन के दौरान व रिश्वत प्राप्त करने के बाद आरोपी श्री मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ बारां से कराई गई मोबाईल वार्ता अनुसार आप द्वारा आरोपी मोतीराम जाट के लिये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड की गई दोनों वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी सत्यनारायण ने फर्द नमूना आवाज नोटीस पर लिखकर दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी मोतीराम जाट व स्वतंत्र गवाहान तथा जाप्ता श्री इस्माईल है0कानि0 एवं श्री यशवंत शर्मा कनिष्ठ सहायक के आरोपी श्री मोतीराम जाट के किराये के कमरे मकान श्री मोहनलाल अंजली रेंजीडेंसी कोटा रोड बारां की नियमानुसार खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान कोई दस्तावेज तथा अन्य कोई संन्दिग्ध वस्तु कब्जे ब्यूरों नही लिये गये। समय 08.35 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष आरोपी श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस में नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री मोतीराम जाट की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई दुर्गाशंकर जाट को उसके मोबाईल नम्बर 8104709299 पर दी गई। आरोपी श्री



आनिष

मोतीराम जाट की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास साहू से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरंग दूधिया मिला जिसे वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिया। समय 08.50 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष आरोपी सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ा को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री सत्यनारायण की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके पुत्र कान्हा शर्मा को उसके मोबाईल नम्बर 7073954487 पर दी गई। आरोपी श्री सत्यनाराण शर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विकास साहू से लिवायी गई। तो आरोपी के पास पहने हुये कपड़ो के अलावा अन्य कोई वस्तु दस्तयाब नही हुई। इसके बाद समय 09.05 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष परिवादी श्री मोरपाल पुत्र श्री मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी थाना बापचा जिला बारां की दिनांक 08.09.2022 को आरोपी श्री मोतीराम जाट हाल निरीक्षक डी0एस0ओ0 कार्यालय जिला बारां से हुई रिश्वत सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड थी, को कार्यालय के लेपटॉप मे लेकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मनोज कुमार कानि0 211 से निम्नानुसार मुर्तिब करवायी गयी। परिवादी श्री मोरपाल मीणा ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष उक्त वार्ता मे एक आवाज स्वयं की होना बताया जिसे "परिवादी" से सम्बोधित किया गया है एवं दूसरी आवाज आरोपी मोतीराम जाट निरीक्षक डीएसओ कार्यालय बारां की होना बताया जिसे "आरोपी" से सम्बोधित किया गया है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत सत्यापन वार्ता प्रथम मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनायी जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् समय 11.40 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा व श्री विकास साहू के समक्ष परिवादी श्री मोरपाल पुत्र श्री मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी थाना बापचा की दिनांक 08.09.2022 को आरोपी श्री मोतीराम जाट हाल निरीक्षक डी0एस0ओ0 कार्यालय जिला बारां से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड थी, को कार्यालय के लेपटॉप मे लेकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मनोज कुमार कानि0 211 से नियमानुसार मुर्तिब करवायी गयी। परिवादी श्री मोरपाल मीणा ने उपरोक्त गवाहान के समक्ष उक्त वार्ता मे एक आवाज स्वयं की होना बताया जिसे "परिवादी" से सम्बोधित किया गया है एवं दूसरी आवाज आरोपी मोतीराम जाट निरीक्षक डीएसओ कार्यालय बारां की होना बताया जिसे "आरोपी" से सम्बोधित किया गया है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनायी सुनायी जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 10.09.2022 को समय 02.20 ए0एम0 पर दिनांक 08.09.2022 को हुई रिश्वत दो मांग सत्यापन वार्ताएं एवं दिनांक 09.09.2022 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता व एक मोबाईल वार्ता कुल चार वार्ताओ को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से 05 डी0वी0डी श्री श्री मनोज कुमार कानि0 211 से डब करवाकर तैयार करवायी गयी। जिसकी फर्द डबिग डी0वी0डी0 श्री मनोज कुमार कानि0 211 से तैयार करवाकर एक डीवीडी वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, दो डीवीडी पृथक-पृथक आरोपीगण के लिऐ, एक आवाज नमूना हेतु कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई।

अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि परिवादी श्री मोरपाल पुत्र मदनलाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी नानूखेडी पंचायत पचपड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां मोबाईल नम्बर- 8290344006 ने दिनांक 08.09.2022 को उपस्थित चौकी होकर एक टाईपशुद्धा प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया कि मै छबड़ा तहसील के पंचायत पचपहाड़ के ग्राम नानूखेड़ी में रहता हूं। गांव नानूखेडी



अनिल

में ही मेरी राशन डीलर की दुकान है। मैं एक दिन मेरी पत्नि को बारां दिखाने आया था तो उस दिन मोतीराम इन्सपेक्टर मेरी राशन की दुकान पर पहूंच गया तथा फोन करके मुझे बुलाया कि तुम्हारी दुकान में गड़बडी है तथा दुकान में पब्लिक को समय पर राशन सामग्री नही मिलती है। तो इस पर मैने कहा साहब अभी तो में बारां आया हुआ हूं पत्नि के इलाज के लिये, ऐसी कोई बात नही है। मैं बाद में आकर आपसे मिलता हूं। इस पर मैं श्री मोतीराम जाट से डीएसओ ऑफिस में जाकर मिला तो उन्होने मुझसे 20,000/- की रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने पर 15,000/- लेना तय हुआ जिसमें से 10,000/- रूपये तो प्राप्त कर लिये तथा 5000/- रूपये बाद में देना तय हुआ। बाकि के 5000/- रूपये के लिये श्री मोतीराम जाट इन्सपेक्टर द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं इन्हे ये रिश्वत नही देना चाहता तथा रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इन्सपेक्टर साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश या दुश्मनी नही है तथा मेरा इन्सपेक्टर साहब से पुराना कोई लेनदेन बाकी नही है। पूर्व में दस हजार रूपये भी झूठी कार्यवाही करने धमकी देकर प्राप्त किये है। शिकायत का उसी दिन सत्यापन कराया गया। शिकायत की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से हुई है। इसके बाद दिनांक 09.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री श्री मोरपाल मीणा आरोपी श्री मोतीराम जाट के कहे अनुसार श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर छबडा से मिला। रिश्वत राशि पांच हजार रूपये आरोपी सत्यनारायण को दी गई। जो दौरान कार्यवाही आरोपी सत्यनारायण की पेन्ट की जेब से बरामद हुई। जिसकी पुष्टि रिश्वत लेन देन वार्ता व आरोपी मोतीराम जाट से सत्यनारायण की हुई मोबाईल वार्ता से होती है। आरोपी श्री सत्यनारायण शर्मा राशन डीलर छबड़ा के दोनो हाथो एवं पेन्ट की जेब का धोवन रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस समस्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण 1. श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां एवं 2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ बारां द्वारा आपसी मिलीभगत एवं सहमति कर परिवादी से रिश्वत की मांग कर प्राप्त की गई। आरोपीगण श्री मोतीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक व श्री सत्यनारायण राशन डीलर वार्ड 12 छबडा जिला बारां का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगण को जर्ये फर्द पृथक पृथक गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू जाति जाट उम्र 38 साल निवासी बेजनाथिया थाना चन्देरिया तहसील व जिला चितौड़गढ हाल प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय डीएसओ जिला बारां एवं 2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 47 निवासी प्रताप नगर प्रथम मारूती शोरूम के सामने वार्ड नम्बर 8 छबड़ा जिला बारां राशन डीलर बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 12 छबड़ा बारां का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

आनिष

(अनिष अहमद)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बारां

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः-भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2022/3114 दिनांकः-11.09.2022

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा।

विषयः- अपराध संख्या 358/2022 विरूद्ध श्री मोतीराम जाट पुत्र श्री बरदू, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय डीएसओ, जिला बारां एवं अन्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रकरण का अनुसंधान ट्रेपकर्ता अधिकारी से न करवाकर अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर मुख्यालय को अवगत करावें तथा प्रकरण का अनुसंधान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार 45 दिवस में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करवायें।

भवदीय,

11.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।